न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 123/2005 (धारा 75 भू.राज अधि0 1956) (RCMS No.2005/00009)

1. उदयप्रताप
2. कीर्तिपाल सिंह

पुत्र दिगम्बर जाति जाट निवासी रोजोली तहसील किरावली जिला आगरा हाल नि0 नूरपूर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नबाबसिंह पुत्र कल्यान (मृतक)
   - 1/1 जनक पत्नी स्व0 नबाबसिंह
   - 1/2 सत्यप्रकाश, 1/3 फरसाराम, 1/4 बलराम — पुत्रान नबाबसिंह
   - 1/5 सूखी, 1/6 मछला, 1/7 रेखा — पुत्रीयान नबाबसिंह
2. नन्दू पुत्र कल्यान
3. तालेवर पुत्र कल्यान
4. अमरसिह (मृतक), 5. धर्मसिंह — पिसरान भावसिह
6. विडला (मृतक)
   - 6/1 ईश्वरवती वेवा विडला
7. नारंगी वेवा श्यामसिंह

अकवाल जाट निवासी सूती तहसील भरतपुर जिला भरतपुर।

8. राजवीर, 9. चन्द्रवीर, 10. राजेन्द्र — पिसरान श्यामसिंह नवीरा भावसिंह नावालिगान व विलायत माता खुद नारंगी
11. लाखनसिंह पुत्र लालाराम
12. वृषभानसिंह (मृतक)
    - 12/1 पालेन्द्र, 12/2 कान्हा, 12/3 कृष्णा — पिसरान वृषभानसिंह

अकवाल जाट निवासी सूती तहसील भरतपुर जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्टस

13. छीतर, 14. पप्पू, 15. नीवोरी, 16. शशि — पिसरान वीरी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

17. केशमती वेवा वीरी
18. अतरी वेवा मानसिंह
19. बहादुर
20. रामप्रसाद
21. कुमरसैन

पिसरान मानसिंह

22. रघुनाथ
23. विजयसिंह
24. कट्टर

पिसरान ग्यासी

25. केहरी
26. श्यामबाबू

पि0 बुद्धो जाति जाट नि0 असैला तह0 किरावली जिला आगरा

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

.....उत्तरबादीगण **तरतीबी**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 73/03 नबाबसिह व अन्य बनाम वीरीसिंह व अन्य दिनांक 1.7.2003 (प्रा0पत्र 136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः—

1. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील अपीलान्ट।
2. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः— 27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 नबाबसिंह वगैरह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहत अदालत के समक्ष वास्ते रकबा पूर्ति पेश किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा तहसीलदार भरतपुर को जांच एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हेतु भेजा गया। तहसीलदार भरतपुर ने पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से मौका व जांच रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30.07.2002 को बिन्दुवार रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि हाल खसरा नंबर 664 से 10 एयर व हाल खसरा नंबर 665 से 15 एयर व हाल खसर नंबर 663 से 10 एयर रकबा कम करके प्रार्थी के हाल खसरा नंबर 690 रकबा 41 एयर में से 35 एयर रकबा शामिल कर प्रार्थीयान के रकबा पूर्ति करने की प्रार्थना करते हुये कहा गया है कि इस प्रकार से इन्द्राज होने से दोनों पक्षकारान के रकबा गत के मुकाबले सही हो जाते हैं। अप्रार्थी की ओर से अदालत मातहत में उपस्थित हुये अधिवक्ता ने सैटलमेन्ट से पूर्व अनुसार हाल रिकार्ड में दुरूस्ती होने में अपनी सहमति जाहिर करते हुये न्यायालय की आदेशिका पत्रावली पर अनापत्ति के संबंध में अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 पारित किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि .....''अप्रार्थी के हाल खसरा नंबर 664 से 0.10 ऐयर रकबा, खसरा नंबर 665 से 0.15 ऐयर रकबा व खसरा नंबर 663 से 0.10 ऐयर रकबा कम करके प्रार्थीयान के हाल खसरानमबर 690/0.41 ऐयर में कुल 0.35 ऐयर रकबा जोडकर हाल खसरा नंबर 690 का रकबा 0.76 ऐयर ग्राम सूती तहसील भरतुपर में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। ....'' उपखण्डाधिकारी भरतपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2003 विधिविरूद्ध तथा रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित आराजी खसरा नंबर 663/0.61, 665/0.22 के 1/2 हिस्सों को अपीलान्टस ने दो पृथक पृथक विकय पत्रों के द्वारा दिनाक 03.11.1997 व 30.12.1997 को तत्कालीन खातेदार काश्तकारों से कय किया गया है। यानी उपरोक्त खसरा नंबरान के 1/4 हिस्से को अपीलान्ट संख्या 1 व 1/4 हिस्से को अपीलान्ट संख्या 2 के द्वारा कय किया गया है। अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने की दिनांक को अपीलान्टस विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने के बाबजूद अदालत मातहत ने न तो अपीलान्टस को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया और न ही अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त व उचित अवसर ही प्रदान किया। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। चूंकि अदालत मातहत 'द्वारा अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया था। इसलिये अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया और ना ही अपीलान्टस ही कभी उपस्थित हुये। वकालतनामे पर जो हस्ताक्षर अपीलान्टस के किये हुये हैं, वे हस्ताक्षर अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में किये गये हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। अदालत मातहत की ओर से कभी कोई सम्मन या नोटिस आदि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में प्राप्त नहीं हुये। अपीलान्टस की ओर से जो वकालतनामा अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न किया गया है, वह कूटरचित एवं बनावटी है। उक्त वकालतनामा रैस्पोडेन्टस की ओर से ही जो कि अदालत मातहत में प्रार्थीगण थे, के द्वारा पेश किया गया था। अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज भूमि को कम की जाकर रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज किये जाने के संबंध में अपीलान्टस के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलान्टस की सहमति मानते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 को पारित किया है। इसके अलावा उपरोक्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश में उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में स्थित कौन से खसरा नंबर की कितनी भूमि साविक व हाल खसरा नंबर से कम ज्यादा रही है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में 0.41 एयर भूमि साविक रकबे से कम होना बताया गया है। रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक था कि उनकी खातेदारी में कम हुआ रकबा किस–किस खसरा नंबर से कितना–कितना कम हुआ है, परन्तु उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 को नियम विरूद्ध पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट संख्या 2 वक्त निर्णय नाबालिग था। इसके बाबजूद अपीलान्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व निर्णय में अपीलान्ट की कोई उम्र अंकित नहीं है। रैस्पोडेन्टस द्वारा जानबूझ कर प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस की उम्र अंकित नहीं की गई। नाबालिग व्यक्ति के पक्ष में बिना संरक्षक नियुक्त किये कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। इसके अलावा अपीलान्टस की खातेदार का कोई रकबा उत्तरबादीगण (प्रार्थीगण) की खातेदारी में नहीं निकलता है। इसके बाबजूद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज भूमि को रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखीनय है कि रकबा कमी की पूर्ति करने के संबंध में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत कोई प्रावधान नहीं है। इस धारा के अंतर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि की दुरूस्ती की जा सकती है। इसके समर्थन में 2011–12 (SUPP) आर.आर.टी. पेज 284 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियों को केवल वाद पेश करके ही दुरूस्त करवाया जा सकता है। धारा 136 के अन्तर्गत की जाने वाली संक्षिप्त कार्यवाही में राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टि को दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाबजूद उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज रकबे को कम किये जाने का आदेश दिया है, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये एल. आर.एक्ट की धारा 136 के द्वारा जो अनुतोष अदालत मातहत से चाहा था, वह अनुतोष केवल मात्र नियमित वाद में ही दिया जा सकता है। एल.आर.एक्ट की धारा 136 में किसी भी खसरा नम्बर के अतिरिक्त रकबा जोडकर कमी पूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही किसी रकबे को कम व बढाने का इस धारा के

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

27.8.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अंतर्गत कोई प्रावधान ही है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2003 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया तथा उपरोक्त आदेश अपीलान्टस की अनुपस्थिति में उनकी बैक पर एकतरफा में पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश न तो स्पष्ट है और न ही स्पीकिंग है। इस तरह के आदेश को निर्णय की श्रेणी में नहीं माना गया है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 217 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये यह तर्क दिया कि उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी उपरोक्त आदेश अवैध व शून्य प्रभाव लिये होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 17.01.2005 को हुई। जानकारी होते ही अपीलान्टस की ओर से नकल हेतु आवेदन किया गया, जिसकी नकल दिनांक 17.02.2005 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने के अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि पुनः अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से रैस्पोडेन्टस के द्वारा उनके न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट प्राप्त करने व तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस को पक्षकार बनाने के बाद सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 को नियमानुसार पारित किया गया है। जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज खसरा नंबर 689 रकबा 45 एयर जो गत खसरा नंबर 647 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 648 रकबा 12 बिस्वा वाकै ग्राम सूती से बना है, में साविक रकबे से 27 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है। जबकि मौके पर प्रार्थीयान का पूर्वानुसार 5 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा है। इसी तरह खसरा नंबर 644 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का कोई नया नंबर नहीं बनाया गया है। इसलिये पटवारी हल्का से मौका रिकार्ड तलब कर प्रार्थीयान के गत खसरा नंबर 644 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर बने खसरा नंबरान को प्रार्थीयान के खाते में दर्ज किया

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2020
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जावे। रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें तहसीलदार भरतपुर द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र दिनांक 30.07.2002 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसके साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न की गई। इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलान्टस को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिये जाने पर रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिसमें अपीलान्टस को पक्षकार बनाया गया तथा सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्टस की ओर से दिनांक 24.06.2003 को अदालत मातहत में श्री दौलतराम एडवोकेट उपस्थित हुये। जिनके द्वारा न्यायालय की आदेशिका पर यह हस्ताक्षर किये गये कि मैं अप्रार्थी का वकील हूं इसमें मुझे रकबा पूर्ति 0.35 एयर किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2003 को पारित किया गया। जिसमें रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर यह निर्देश दिये कि हाल खसरा नंबर 664 से 10 एयर 665 से 15 एयर व 663 से 10 एयर रकबा कम करके प्रार्थीयान के हाल खसरा नंबर 690/0.41 एयर में कुल 0.35 एयर रकबा जोड़कर हाल खसरा नंबर 690 का रकबा 0.76 एयर वाकै ग्राम सूती तहसील भरतपुर मे किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये रिकार्ड व दस्तावेज, तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत हुई रिपोर्ट व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के अभिभाषक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हाल खसरा नंबर 664 से 10 एयर रकबा हाल खसरा नंबर 665 से 15 एयर रकबा व हाल खसरा नंबर 663 से 10 एयर रकबा कम करके प्रार्थीयान के खसरा नंबर 690/0.41 में शामिल करने पर प्रार्थीयान का रकबा पूर्ण हो जाता है तथा पडोसी खातेदारान का रकबा गत के मुकाबले कम नहीं होता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश से न तो अपीलान्टस का कोई रकबा कम किया गया है और न ही रैस्पोडेन्टस को कोई अधिक रकबा ही दिया गया है, वरन् गत रकबे के मुकाबले भू प्रबंध विभाग द्वारा कम किये गये रकबे को पुनः रैस्पोडेन्टस के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्टस का यह तर्क कि अदालत मातहत में उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये थे, वरन् रैस्पोडेन्टस की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कराकर सहमति दिलाई गई है तो उक्त कथन गलत है, क्योंकि यदि अपीलान्टस की ओर से कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया था और उनकी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से किसी अभिभाषक ने गलत वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया तो इसके लिये अपीलान्टस की ओर से न तो संबंधित अभिभाषक के विरूद्ध और न ही रैस्पोडेन्टस के विरूद्ध किसी भी थाने में कोई एफ.आई.आर. आदि दर्ज नहीं की गई और न ही कोई शिकायत ही कहीं दर्ज कराई गई। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्टस की ओर से ही अदालत मातहत में अभिभाषक नियुक्त किया गया था तथा अपीलान्टस की ओर से सहमति दिये जाने पर ही उनके अभिभाषक द्वारा अदालत मातहत की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये थे। वकील अपीलान्टस का उपरोक्त कथन इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्टस के द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत की गई अपील व इसके साथ संलग्न वकालतनामे पर हो रहे हस्ताक्षर अदालत हाजा में पेश किये गये संशोधित शीर्षक पर हो रहे हस्ताक्षरों से भिन्न है। इसलिये यह कहना गलत है कि अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये। इसके अलावा भी अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित रकबे में कोई कमी नहीं हुई है। इसके बाबजूद अपीलान्टस के मन में खोट आ जाने के कारण उक्त अपील पेश की गई है। चूंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान रैस्पोडेन्टस की खातेदारी में स्थित रकबे को कम किया गया है। इसलिये धारा 136 के प्रार्थना पत्र में इस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। इसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस के द्वारा विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है। इसलिये विक्रेता को विवादित भूमि के संबंध में जो अधिकार प्राप्त थे, वह अधिकार ही क्रेता को प्राप्त होंगे। विक्रय पत्र में इस संबंध में उल्लेख भी किया जाता है। फिर भी यदि अपीलान्टस को कोई आपत्ति है तो उसके लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया कि किस खसरा नंबर से कितना रकबा कम किया जाना है तो यह तर्क गलत है, क्योंकि निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट' के मद नंबर 6 के अनुसार हाल खसरा नंबर 664 से 10 एयर, 665 से 15 एयर, 663 से 10 एयर कुल 35 एयर रकबा कम खसरा नंबर 690 में शामिल किये जाने पर प्रार्थीयान के रकबे की कमीपूर्ति हो जाती है। अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पैरा में भी इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त निर्णय की पालना भी की जा चुकी है। इसलिये 21 वर्ष बाद अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्टस ने यह तर्क दिया कि अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में जानकारी होते ही वर्ष 2005 में ही अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। इसके अलावा अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलान्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

27.8.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की ओर से नियुक्त किये गये अभिभाषक का कोई वकालतनामा संलग्न नहीं है और न ही अपीलान्टस को अदालत मातहत की ओर से जारी किये गये नोटिसेज की प्रति ही संलग्न है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार की रिपोर्ट का हवाला दिये जाने के आधार पर यह माने जाने का प्रश्न है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में साविक व हाल खसरा नंबर का हवाला दिया गया है तो तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को भी न तो निर्णय का भाग बनाया गया है और न ही इसका अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में साविक व हाल खसरा नंबर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। रैस्पोडेन्टस के द्वारा अदालत मातहत में विक्रेता को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, परन्तु विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। एल.आर.एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र के आधार पर केवल लिपिकीय त्रुटि ही दुरूस्त की जा सकती है, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित भूमि को अपीलान्टस का सुनवाई पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना कम किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अदालत मातहत की दिनांक 24.06.2003 की आदेशिका में अप्रार्थी की ओर से जिन अभिभाषक द्वारा सहमति दी गई है उनका न तो आदेशिका में स्पष्ट नाम है और न ही अदालत मातहत की पत्रावली में कोई वकालतनामा ही संलग्न है। इसके अलावा वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि अपीलान्टस की ओर से पुलिस थाने मे अभिभाषक या रैस्पोडेन्टस के विरूद्ध एफ. आई.आर या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई तो इस आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही इस आधार पर अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित भूमि को कम ही किया जा सकता है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किया गया निर्णय दिनांक 01.07.2003 खारिज निरस्त किया जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2003 के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 18.02.2005 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने व उपरोक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय से स्थानान्तरित होकर अदालत हाजा में प्राप्त होने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत किये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अनुपस्थिति में व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिये अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.02.2005 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर होने का उल्लेख करते हुये जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। रैस्पोडेन्टस की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय के बारे में प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। इस आधार पर अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें साविक खसरा नंबर 644 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा से बने नये नंबर में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने व हाल खसरा नंबर 689 का रकबा 45 एयर को पूर्व अनुसार 72 एयर मुताबिक कब्जा मौका कागजात पटवार में दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा तहसीलदार भरतपुर को मौका जॉच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार भरतपुर की ओर से पत्र दिनांक 30.07.2002 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पटवारी हल्का की ओर से दिनांक 25.07.2002 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट दिनांक 30.07.2002 के आधार पर प्रभावित पक्षकारान को तलब किया गया। प्रभावित पक्षकारान के अधिवक्ता ने सैटलमेंट से पूर्व अनुसार हाल रिकार्ड में दुरूस्ती होने में अपनी सहमति जाहिर की एवं लिखित में आदेशिका पर प्रभावित पक्षकारान की ओर से अनापत्ति दर्ज कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। निर्णय में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार की मद नंबर 6 के अनुसार प्रार्थीयान की ओर से रकबा पूर्ति किये जाने का अनुरोध किये जाने पर उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार रकबा पूर्ति

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2014
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया जाना उचित होना मानकर अपीलाधीन आदेश इस आशय का पारित किया गया है कि खसरा नंबर 664 से 10 एयर, खसरा नंबर 665 से 15 एयर व खसरा नंबर 663 से 10 एयर रकबा कम करके प्रार्थीयान के हाल खसरा नंबर 690/.41 एयर में कुल 0.35 एयर रकबा जोड़कर हाल खसरा नंबर 690 का रकबा 0.76 एयर ग्राम सूती तहसील भरतपुर में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। जबकि तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई न तो अभिशंषा ही की गई और न ही पटवारी हल्का/भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की ताईद ही की गई, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट के मद नंबर 6 का हवाला दिया गया है। जबकि तहसीलदार भरतपुर की ओर से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत नहीं कर केवल भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की मौका जॉच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की है। इस रिपोर्ट को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न तो स्पष्ट है और न ही स्पीकिंग है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा बिना किसी स्पष्ट रिकार्ड व दस्तावेज के खातेदारी भूमि में से रकबा कम किये जाने का आदेश दिया गया है, जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2011-12 (SUPP) आर.आर.टी. पेज 284 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश स्पष्ट व स्पीकिंग नहीं होने के कारण भी वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 217 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता है।

वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क भी उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में अपीलान्टस को तलब किये जाने का कोई नोटिस आदि संलग्न नहीं है तथा अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.06.2003 में अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा जो हस्ताक्षर किये गये हैं, उसमें भी यह उल्लेख किया गया है कि "मैं अप्रार्थी का वकील हूं। इसमें मुझे रकबा पूर्ति 35 एयर होने में कोई आपत्ति नहीं है।" अपीलान्टस/अप्रार्थीगण के अभिभाषक की ओर से दी गई उपरोक्त सहमति को सभी अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की सहमति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें केवल अप्रार्थी का उल्लेख किया है। जिससे भी स्पष्ट नहीं होता है कि कौन से अप्रार्थी द्वारा 35 एयर रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु सहमति दी गई है। इसके अलावा रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत एल.आर.एक्ट 136 के मूल प्रार्थना पत्र व संशोधित शीर्षक में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके खातेदारी के साविक खसरा नंबर में स्थित भूमि को किस-किस खसरा नंबर में कमीवेशी की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में किसी प्रकार की कोई जॉच आदि नहीं की गई और न ही अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.8.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना ही पाया गया है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार भरतपुर से स्पष्ट मौका जॉच रिपोर्ट अभिशंषा सहित प्राप्त करने के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रकरण का परीक्षण कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर